बिहार सरकार

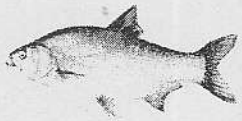

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

प्रगतिशील कृषक/मछली उत्पादन से जुड़े बंधु ध्यान दें।

राज्य सरकार ने मत्स्य पालकों के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना स्वीकृति प्रदान की है। सभी अवयवों में स्वलागत अथवा बैंक ऋण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी अनुमान्य है। योजना का कार्यान्वयन निजी अथवा निबंधित पट्टे की जमीन पर किया जायेगा। इसके निम्नलिखित अवयव हैं –

–मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना–

1. **आर्द्रभूमि का विकास :–**
   - ईकाई लागत ₹5.00 लाख प्रति हेक्टयर।
   - लक्ष्य– 820.39 हेक्टेयर।

2. **रियरिंग तालाब का निर्माण :–**
   - इकाई लागत ₹6.00 लाख प्रति हेक्टेयर।
   - लक्ष्य– 400.00 हेक्टेयर।

3. **निर्मित रियरिंग तालाब /विकसित आर्द्रभूमि हेतु प्रथम वर्ष के लिए इनपुट :–**
   - इकाई लागत ₹1.50 लाख प्रति हेक्टेयर।
   - लक्ष्य– 1220.39 हेक्टेयर।

4. **ट्यूबवेल एवं पम्पसेट का अधिष्ठापन :–**
   - ट्यूबवेलः इकाई लागत– ₹0.50 लाख प्रति इकाई।
   - पम्पसेट : इकाई लागत– ₹0.25 लाख प्रति इकाई।
   - ट्यूबवेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन हेतु न्यूनतम 0.50 एकड़ जलक्षेत्र का तालाब आवश्यक है।
   - लक्ष्य– 500 अद्द।

5. **मन एवं चौर में मत्स्य अंगुलिकाओ का संचयन :–**
   - संचयन दरः 2000 मत्स्य अंगुलिका प्रति हेक्टेयर।
   - इकाई लागत ₹2.50 प्रति इकाई।
   - लक्ष्य– 4850 हेक्टेयर।

उपर्युक्त अवयवों का लाभ उठाकर आप अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं।

इच्छुक मत्स्य कृषक अपना आवेदन संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर अथवा जानकारी हेतु अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। उपर्युक्त वर्णित योजना राज्यादेश संख्या 2736 दिनांक 22.08..2017 द्वारा निर्गत है जिसे विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।